न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 27/2017

रज्जु दिनांकः 13/04/2017

निर्णय दिनांकः 14/07/2017

1. सीताराम पुत्र जगदीश जाति जाट
2. सुरेश पुत्र जगदीश जाति जाट
   निवासी ग्राम श्रीराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम श्रीराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. पंजाब नेशनल बैंक मण्डोर जरिये शाखा प्रबंधक पी.एन.बी, बैंक मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0टी0एक्ट

उपस्थितः

श्री हनुमान सहाय सिहांग एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादीगण
श्री संजीव कुमार पारीक एडवोकेट
श्री सुर्यप्रकाश शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 14/07/2017

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 का इस आशय का पेश किया कि वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की पैतृक आराजी वाके ग्राम चित्तोडा, पटवार हल्का चित्तोडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चित्तोडा तहसील फागी जिला जयपुर स्थित आराजी खाता संख्या 593 के ख0नं0 109 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 110 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 111 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 112 रकबा 1 बिस्वा, ख0नं0 113 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 114 रकबा 1 बीघा

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

19 बिस्वा, ख0नं0 115 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 116 रकबा 6 बिस्वा, ख0नं0 117 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 118 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 119 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 120 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 121 रकबा 16 बिस्वा, ख0नं0 122 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 2617/108 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, कुल किता 15 कुल रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा में हिस्सा 1/5 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर बराबर हक व हिस्सा है तथा उक्त आराजीयात में वादीगण का 2/15 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/15 हिस्सा है। वाद के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी वादीगण की संयुक्त परिवार की आय से अर्जित पैतृक सम्पति है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्से में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर बराबर हक व हिस्सा है, एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। वाद के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण के पिता के संयुक्त परिवार की आय से अर्जित सम्पति है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादीगण के पिता श्री जगदीश ने क्रय कर दिनांक 15.12.1972 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नाबालिग अवस्था में लगवा दी थी। जब उसकी उम्र करीब एक दो वर्ष की थी। जबकि उक्त आराजीयात उनके पिता की संयुक्त परिवार की आय से अर्जित सम्पति होने से उसके तीनों पुत्रों का बराबर हक व अधिकार है। उक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त परिवार की सम्पति होने से वादीगण की पैतृक सम्पति है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होने से उसकी नियत में फितुर है, एवं वह उक्त आराजीयात को नाम लगाने में आना–कानी करने के कारण वादीगण को उनके कब्जे से बेदखल करने की धमकी देने के कारण वादीगण को वाद घोषणा का प्रस्तुत कर अपने अधिकारों की घोषणा करवाना आवश्यक हुआ। वादीगण को वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकारों की घोषणा करवाना एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना आवश्यक हुआ कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत न स्वयं करें न अन्य किसी अजेन्ट सर्वेन्ट से करावें। वादकारण हाल ही में दिनांक 15.03.2017 को उक्त आराजीयात को वादीगण के नाम लगवाने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इन्कार करने एवं उक्त आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। अतः वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित ख0नं0 109 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 110 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 111 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 112 रकबा 1 बिस्वा, ख0नं0 113 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 114 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 115 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 116 रकबा 6 बिस्वा, ख0नं0 117 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 118 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 119 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 120 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 121 रकबा 16 बिस्वा, ख0नं0 122 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 2617/108 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, कुल किता 15 कुल रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज 1/5 हिस्से में से वादी संख्या 1 को 1/3 एवं वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें अर्थात उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को बराबर बराबर हिस्से अर्थाथ वादी संख्या 1 को 1/15 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 का 1/15 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत ना तो स्वयं करें ना अपने एजेण्ट सर्वेन्ट से करावें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली शामिल मिसल किया गया।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामे में बताया कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही पिता की संतान है। जिसमें गांव व समाज के मौजिज व्यक्तियों ने आपस में बैठाकर राजीनामा पेश किया है। वाके ग्राम चित्तोडा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 109 लगायत 122, खसरा नम्बर 2617/108 कुल किता 15 कुल रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा में हिस्सा 1/5 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। परन्तु उक्त आराजीयात में वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 का भी बराबर–बराबर हक व हिस्सा है। पक्षकारों में आपसी समझाईस से

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

राजीनामा हो चुका है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज हिस्से 1/5 में से वादीगण का 2/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण आराजीयात में से वादी संख्या 1 का 1/15, वादी संख्या 2 का 1/15 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/15 हिस्सा उक्त हिस्से अनुसार से वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज काश्त है मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री करने पर प्रतिवादी संख्या 1 सहमत है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात के बाबत वादीगण द्वारा अपने वाद में चाही गयी अनुतोष अनुसार मान्य न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद बरूये राजीनामा डिक्री फरमाया जावें। वादीगण द्वारा अपने वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रस्तुत किये। वादीगण द्वार प्रस्तुत दस्तावेज जो प्रदर्श एक जमाबन्दी है, प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3 है, जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। बहस में वादीगण के अधिवक्ता ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजीयात वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर बराबर हक एवं हिस्सा है। वादीगण ने अपने साक्ष्य में स्वयं व अपने पिता का, जगदीश पुत्र गिरधारी का, स्वतंत्र गवाह संजय पुत्र रामदयाल चौधरी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त शपथ पत्रों द्वारा गवाहों ने वादी के वाद की ताईद की है एवं प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र का भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिसने भी वाद के तथ्यों को सही मानते हुये मुताबिक राजीनामा डिक्री करने में सहमति दी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। अतः वादीगण के वाद के तथ्यों से संतुष्ट होकर लोक अदालत की भावना से बरूये राजीनामा मुताबिक डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी 1 डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 593 के ख0नं0 109 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 110 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 111 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 112 रकबा 1 बिस्वा, ख0नं0 113 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 114 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 115 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 116 रकबा 6 बिस्वा, ख0नं0 117 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 118 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 119 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 120 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 121 रकबा 16 बिस्वा, ख0नं0 122 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 2617/108 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, कुल किता 15 कुल रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम चित्तोडा, पटवार हल्का चित्तोडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चित्तोडा तहसील फागी जिला जयपुर स्थित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्से में से वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा है अर्थात उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को बराबर बराबर हिस्सा है अर्थात सम्पूर्ण आराजीयात में से वादी संख्या 1 को 1/15 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 का 1/15 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2017 को फॉलो अप कोर्ट केम्प फागी में खुले इजलास सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी (प्रभारी)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय पदेन उपखण्ड अधिकारी फागी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/फॉलो अप कोर्ट केम्प फागी)

पीठासीन अधिकारी :–सावन कुमार चायल (आर ए एस)

उनवान

सीताराम बनाम महेन्द्र वगै0

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :– 027/2017

निर्णय

दिनांक :– 14.07.2017

वादी की ओर से हनुमान सहाय सिंहाग एडवोकेट व प्रतिवादी संजीव कुमार पारीक व सूर्यप्रकाश शर्मा एडवोकेट उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.07.2017 को श्री सावन कुमार चायल (आर ए एस) पदेन उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि–

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी 1 डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 593 के ख0नं0 109 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 110 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 111 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 112 रकबा 1 बिस्वा, ख0नं0 113 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 114 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 115 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 116 रकबा 6 बिस्वा, ख0नं0 117 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 118 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 119 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 120 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 121 रकबा 16 बिस्वा, ख0नं0 122 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 2617/108 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, कुल किता 15 कुल रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम चित्तोडा, पटवार हल्का चित्तोडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चित्तोडा तहसील फागी जिला जयपुर स्थित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्से में से वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा है अर्थात उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को बराबर बराबर हिस्सा है अर्थात सम्पूर्ण आराजीयात में से वादी संख्या 1 को 1/15 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 का 1/15 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पालना तहसीलदार फागी को तहरीर जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14.07.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

(सावन कुमार चायल)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी फागी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. रूपयेपरप्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

(सावन कुमार चायल)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी फागी